न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
11/दावा/2017	22.02.2017	09.01.2019

1. हरिसिंह आत्मज अखयदान सिंह जाति चारण निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेड़ा जिला बूंदी मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

1/1 भंवरबाई पत्नी हरिसिंह जाति चारण नि.ग्राम ठीकरिया चारणान तह. तालेड़ा जि. बूंदी

1/2 मनोज कुमार आत्मज हरिसिंह जाति चारण निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तह. तालेड़ा जि. बूंदी

1/3 अश्विनी बाला पुत्री हरिसिंह पत्नी जयसिंह भादा जाति चारण निवासी ग्राम कचोलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक

1/4 अंजूबाला पुत्री हरिसिंह पत्नी दिवाकर सिंह जाति चारण निवासी भवानीनगर सीकर रोड़ जयपुर

2. शक्तिशरण आयु बालिग आ0 जोरावर सिंह जाति राजपूत निवासी ठीकरिया चारणान तह. तालेड़ा, जिला बून्दी।

3. भंवरबाई पत्नी हरिसिंह जाति चारण निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तह. तालेड़ा जि. बूंदी

– वादी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय।

– प्रतिवादी

वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :– वादी की ओर से वकील श्री मुकेश शर्मा

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक : 09.01.2019

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है। वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म एण्ड रिज्मपसन ऑफ जागीर एक्ट, 1952 के अन्तर्गत वादीगण के हक में जागीर कमीश्नर द्वारा दिनांक 30.01.1975 को निर्णय पारित किया गया है। कानूनी रूप से जागीर कमीश्नर द्वारा पारित निर्णय अंतिम हो गया है। जागीर कमीश्नर द्वारा पारित निर्णय की पालना प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई है। जागीर कमीश्नर द्वारा पारित निर्णय की पालना प्रतिवादी द्वारा नहीं किये जाने पर वादीगण की ओर से एक याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में पेश की थी, जिसका निर्णय दिनांक 08.12.2016 को हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा पेश याचिका को खारिज करते हुए वादी के अधिकार मानते हुए जागीर कमीश्नर के फैसले के अनुसार जो अधिकार उत्पन्न होते हैं, उस हेतु कार्यवाही सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु अधिकार दिया है। इसके उपरांत वादीगण द्वारा इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। वादी हरिसिंह के देहान्त होने के पश्चात् दिनांक 23.03.2018 को मृतक हरिसिंह के कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये गये। वादीगण ने जागीर कमीश्नर द्वारा पारित निर्णय के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रतिवादीगण ने वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक व लिखित आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया है और न ही विवादित आराजी पर वादीगण का नाम खातेदार के रूप में अंकित किया है। इसलिए वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने का अधिकार घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती हेतु वाद कारण उत्पन्न हो गया है। जागीर कमीश्नर द्वारा पारित निर्णय के अनुसार पुराना ख.सं. 95 मि. नया ख.सं. 577/126 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, पुराना ख.सं. 37 मि. नया ख.सं. 307 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, पुराना ख.नं. 174/2 नया ख.सं. 287 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, पुराना ख.नं. 104 नया ख.सं. 138 रकबा 41 बीघा, पुराना ख.नं. 106/1 नया ख.सं. 121 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, पुराना ख.नं. 43/1 नया 293 रकबा 15 बिस्वा, पुराना ख.नं. 216/2 नया ख.सं. 362 रकबा 19 बिस्वा, पुराना ख.नं. 316/1 नया 418 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम ठीकरिया चारणान विस्थित भूमि वादीगण के खाते अंकित होना चाहिए। वादीगण जागीर कमीश्नर द्वारा पारित निर्णय व जागीर एक्ट, 1952 के अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। जागीर कमीश्नर के निर्णय के विरूद्ध विवादित भूमि में सिवाय चक व चारागाह किस्म अंकित करना प्रभावशून्य है। प्रभाव शून्य होने से वादी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। वादी का वाद डिक्री किया जाकर जागीर कमीश्नर द्वारा पारित निर्णय के अनुसार जो भूमि वादीगण के खाते में आती है वादीगण के खाते में अंकित फरमायी जावे और वादीगण को उक्त आराजी के खातेदार के रूप में अंकित किया जावे।

उक्तानुसार वाद पत्र प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी से जवाब तलब किया गया। प्रतिवादी राजस्थान राज्य की ओर से दिनांक 26.11.2018 को जवाब प्रस्तुत किया और राजहित में वाद को निरस्त करने हेतु विशेष कथन अंकित किया।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

Scanned by CamScanner

दिनांक 05.12.2018 को निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः–

(1) आया जागीर कमीश्नर के निर्णय के अनुसार वाद के चरण सं. 4 में वर्णित आराजी के खातेदार वादीगण है और राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित किये जाने के अधिकारी है।

(2) आया जागीर कमीश्नर के निर्णय के विरूद्ध भूमि को सिवाय चक व चारागाह अंकित करना प्रभावशून्य है।

(3) आया वाद के चरण सं. 4 में वर्णित भूमि पर अंकित चारागाह व सिवाय चक को हटाकर वादी की खातेदारी अधिकार घोषणा कराने के अधिकारी है।

– वादी

(4) अनुतोष।

तनकीयात 1 ल. 3 को सिद्ध करने का भार वादी पर है।

वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में साक्ष्य बतौर गवाह स्वयं मनोज कुमार (पी. डब्ल्यू.1), शक्तिशरण (पी.डब्ल्यू.2), रणजीत सिंह (पी.डब्ल्यू.3), भंवर सिंह (पी.डब्ल्यू.4) प्रस्तुत किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत् 2069 से 72 (प्रदर्श–1 ल. 5 व 10), मा. उच्च न्यायालय जयपुर का निर्णय (प्रदर्श–6 व 11), जागीर कमीश्नर निर्णय (प्रदर्श–7), मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–8), तहसीलदार तालेड़ा को पेश आवेदन पत्र (प्रदर्श–9)दस्तावेजात पेश किये गये। प्रतिवादी ने अपने कथन के समर्थन में कोई गवाह व दस्तावेज पेश नहीं किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए वाद वादी प्रार्थनानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। बहस के समर्थन में निम्नलिखित नजीरें पेश की गईः–

RRD 1983 Page 328

प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद वादी निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन किया। तनकीयात 1 ल. 3 की विषयवस्तु समान होने से तीनों तनकीयात का विवेचन साथ किया जा रहा है। वादी द्वारा जो तथ्य वाद में अंकित किये गये हैं वह जागीर कमीश्नर के निर्णय प्रदर्श–7 के अनुसार है। वाद में विवादित आराजी को जागीर कमीश्नर के निर्णय प्रदर्श–7 में वादीगण के हिस्से में अंकित किया है। निर्णय में अंकित किया गया है कि इस निर्णय (जागीर कमीश्नर) में जो सम्पत्ति आर्टीकल अंकित किये गये हैं वे निजी सम्पत्ति होगी और उसी की मानी जाएगी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–8 से जागीर कमीश्नर निर्णय प्रदर्श–7 में अंकित आर्टीकल का मिलान होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहों से वाद में विवादित आराजी वादीगण के हक व अधिकार की है एवं उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। गवाह पी.डब्ल्यू. 3, 4, 5

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी पर हरिसिंह व जोरावर सिंह का तथा उनके देहांत के पश्चात् उन का कब्जा अनवरत होना बताया है। प्रतिवादी के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और न ही गवाहों से जिरह की है, इसलिए वादी द्वारा अंकित तथ्यों की सत्यता प्रकट होने का संदेह उत्पन्न नहीं होता है। विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा होने व जागीर कमीश्नर के निर्णय के अनुसार विवादित आराजी निजी सम्पत्ति निर्णित किये जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण की जिम्मेदारी थी कि वे निजी सम्पत्ति को कमीश्नर के निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित करे। वादी ने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध उच्च न्यायालय जयपुर में भी कार्यवाही प्रस्तुत की है। वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRD 1983 Page 328 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जागीर एक्ट की धारा 22 व 23 के अनुसार जागीर के रिज्युम्पशन के समय जागीरदार की निजी सम्पत्ति जागीरदार के स्वामित्व की ही मानी जाएगी। हस्तगत मामले में भी जागीर कमीश्नर के निर्णय दिनांक 30.01.1975 (प्रदर्श–7) के अनुसार विवादित भूमि वादी की निजी भूमि मानी गई है जिसके कारण उक्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है जिसे वादी अपने खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आराजी ख.सं. 577/126 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा व आराजी ख.सं. 307 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम ठीकरिया चारणान का वादी 1/1 ल. 1/4 व आराजी ख.सं. 121 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम ठीकरिया चारणान का वादी सं. 2 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि आदेशानुसार वादीगण का नाम खातेदार के रूप में अंकित किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/1/19

(दुर्गाशंकर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

Scanned by CamScanner